**हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय**

अधिसूचना

शिमला–4, 31 मार्च, 2011

**संख्याः वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1–50/2011.––**हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 31 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

# हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011

## (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 6 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (घ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

"(घ) अनुसूची 'ङ' के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल की बाबत विक्रय के प्रत्येक स्तर (प्वाइंट) पर।"।

3. **धारा 10 का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 10 में, "और 'घ'" शब्द, चिन्ह और अक्षर के स्थान पर '', 'घ' या 'ङ'" चिन्ह, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

4. **अनुसूची 'ङ' का अंतःस्थापन.––**मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'घ' के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची 'ङ' अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

"अनुसूची 'ङ'

(धारा 6 की उपधारा (1) का खण्ड (घ) देखें)

विशेष दरों पर कराधेय माल

| क्रम संख्या | माल | कर की दर |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद (बीड़ी के सिवाय) | 16 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | बिड़ियां | 9.75 प्रतिशत ।" । |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

देश में अधिकांश राज्यों ने एक ओर तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को निरूत्साहित करने तथा दूसरी ओर सरकारी राजस्व में बढ़ौतरी करने के द्वियुग्मी उद्देश्य के साथ तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर मूल्य परिवर्धित कर की दर में बढ़ौतरी की है । अत्यधिक धूम्रपान से, राज्य की स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता बढ़ रही है तथा तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का किसी भी रूप में उपभोग करने से कई गम्भीर रोग उत्पन्न होते हैं और यह लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं । भारत में 'तम्बाकू करों' पर **नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसी** द्वारा किया गया अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को निरूत्साहित और कम करने का प्रभावी तरीका करों में बढ़ौतरी के माध्यम से उनकी कीमतों में वृद्धि करना है । अधिक कीमतें होने से आम लोगों और विशेषकर नवयुवकों का धूम्रपान करने से निरूत्साहित होना संभावित है । तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर मूल्य परिवर्धित कर में वृद्धि करना राज्य को धूम्रपान मुक्त करने की दिशा में एक अग्रणी कदम होगा। बीड़ियों का उपभोग, जिसका समाज के कमजोर वर्गों द्वारा अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए समान रूप से हानिकारक है । बीड़ियों पर मूल्य परिवर्धित कर की कम दर अत्यधिक उपभोग के लिए बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, जो निर्धन लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है । हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विद्यमान अनुसूचियां, **"विशेष दरों पर कराधेय"** माल की प्रविष्टि समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए माल की उच्चतर मूल्य परिवर्धित कर वाले प्रवर्ग के लिए **"विशेष दरों पर कराधेय माल"** के नाम से एक नई **अनुसूची 'ङ'** प्रस्तावित की जा रही है । बीड़ियों सहित, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर मूल्य परिवर्धित कर में बढ़ौतरी करने के प्रस्ताव से अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी जैसे कि राज्य को धूम्रपान मुक्त करने, धूम्रपान से होने वाली मृत्यु को कम करने तथा राजस्व के रूप में अभिलाभ जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, तथापि तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों से राजस्व एकत्रित करना इसका मूल उद्देश्य नहीं है । इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

**(प्रेम कुमार धुमल)**
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख :....., 2011.

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर विशेष दर पर मूल्य परिवर्धित कर उद्‌गृहीत करने के लिए तात्पर्यित है, जिससे राजकोष को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी जिसको परिमाणित नहीं किया जा सकता है । विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रशासित किए जाएंगे ।

———

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(आबकारी एवं कराधान विभाग नस्ति संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ(10)–1/2011)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

# THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.—**This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2011.

**2. Amendment of section 6.—**In section 6 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), after clause (c), the following clause (d) shall be inserted, namely:—

"(d) at every point of sale in respect of the goods specified in the second column of Schedule 'E',".

**3. Amendment of section 10.—** In section 10 of the principal Act, for the word, letter and signs "or 'D' ", the signs, word and letters ", 'D' or 'E' " shall be substituted.

**4. Insertion of SCHEDULE 'E'.—**After SCHEDULE 'D' appended to the principal Act, the following SCHEDULE 'E' shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE 'E'

(See clause (d) of sub-section (1) of section 6)

GOODS TAXABLE AT SPECIAL RATES

| Sr. No. | Goods | Rate of Tax |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Tobacco and Tobacco Products, (except beedi) | 16% |
| 2. | Beedies | 9.75%.". |

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Large number of States in the country has increased the rate of Value Added Tax on tobacco and tobacco products with a twin objective of discouraging consumption of tobacco and tobacco products on the one hand and enhancing Government revenue on the other. The high smoking is causing enormous health concerns to the State and consumption of tobacco and tobacco products in any form causes many serious diseases and is detrimental to public health. The study conducted by **National Institute on Public Finance and Policy** on '**Tobacco Taxes'** in India reveals that the effective way to discourage and reduce consumption of tobacco and tobacco products is to increase their prices through increase in taxes. Higher prices are expected to discourage people in general and youths in particular from smoking. The increase in Value Added Tax rate on tobacco and tobacco products will be a step forward towards making the State smoke free. The consumption of beedies is equally dangerous to health which is consumed in large scale by the poorer section of the society. The lower rate of Value Added Tax on beedies is acting as an incentive for higher consumption which is playing havoc with poor people's lives. The existing Schedules under Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 are not sufficient to accommodate entry of goods **"taxable at special rates"**, hence, a new **Schedule 'E'** is being proposed for higher Value Added Tax rate category of goods to be named as **"Goods taxable at special rates".** The proposal to enhance Value Added Tax on tobacco and tobacco products including beedies will attain multi-objectives, such as attain the objective to make State smoke free, reduce smoke related deaths and to gain in terms of revenue, however, increase in revenue collection on tobacco and tobacco products is not the prime objective. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(PREM KUMAR DHUMAL)**
Chief Minister.

SHIMLA:

The ....., 2011.

## FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill purport to levy Value Added Tax on tobacco and tobacco products at a special rate and will generate additional revenue to the State Exchequer which can not be quantified. The provisions of the Bill, if enacted, will be administered by the existing Government machinery without incurring any additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

---

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(No. EXN-F(10)-1/2011)

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2011, recommends, under articles 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

**हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय**

अधिसूचना

शिमला–4, 31 मार्च, 2011

**संख्याः वि0 स0 (विधायन) विधेयक/1–50/2011.––**हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 31 मार्च, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,

गोवर्धन सिंह,

सचिव,

हिमाचल प्रदेश विधान सभा ।

# हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011

## (विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :––

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 6 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (घ) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:––

"(घ) अनुसूची 'ङ' के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट माल की बाबत विक्रय के प्रत्येक स्तर (प्वाइंट) पर।"।

3. **धारा 10 का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 10 में, "और 'घ'" शब्द, चिन्ह और अक्षर के स्थान पर '', 'घ' या 'ङ'" चिन्ह, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

4. **अनुसूची 'ङ' का अंतःस्थापन.––**मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची 'घ' के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची 'ङ' अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:––

"अनुसूची 'ङ'

(धारा 6 की उपधारा (1) का खण्ड (घ) देखें)

विशेष दरों पर कराधेय माल

| क्रम संख्या | माल | कर की दर |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद (बीड़ी के सिवाय) | 16 प्रतिशत |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | बिड़ियां | 9.75 प्रतिशत ।" । |

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

देश में अधिकांश राज्यों ने एक ओर तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को निरूत्साहित करने तथा दूसरी ओर सरकारी राजस्व में बढ़ौतरी करने के द्वियुग्मी उद्देश्य के साथ तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर मूल्य परिवर्धित कर की दर में बढ़ौतरी की है । अत्यधिक धूम्रपान से, राज्य की स्वास्थ्य सम्बन्धी चिन्ता बढ़ रही है तथा तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का किसी भी रूप में उपभोग करने से कई गम्भीर रोग उत्पन्न होते हैं और यह लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं । भारत में 'तम्बाकू करों' पर **नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एण्ड पॉलिसी** द्वारा किया गया अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के उपभोग को निरूत्साहित और कम करने का प्रभावी तरीका करों में बढ़ौतरी के माध्यम से उनकी कीमतों में वृद्धि करना है । अधिक कीमतें होने से आम लोगों और विशेषकर नवयुवकों का धूम्रपान करने से निरूत्साहित होना संभावित है । तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर मूल्य परिवर्धित कर में वृद्धि करना राज्य को धूम्रपान मुक्त करने की दिशा में एक अग्रणी कदम होगा। बीड़ियों का उपभोग, जिसका समाज के कमजोर वर्गों द्वारा अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है, स्वास्थ्य के लिए समान रूप से हानिकारक है । बीड़ियों पर मूल्य परिवर्धित कर की कम दर अत्यधिक उपभोग के लिए बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, जो निर्धन लोगों का जीवन बर्बाद कर रही है । हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विद्यमान अनुसूचियां, **"विशेष दरों पर कराधेय"** माल की प्रविष्टि समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए माल की उच्चतर मूल्य परिवर्धित कर वाले प्रवर्ग के लिए **"विशेष दरों पर कराधेय माल"** के नाम से एक नई **अनुसूची 'ङ'** प्रस्तावित की जा रही है । बीड़ियों सहित, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर मूल्य परिवर्धित कर में बढ़ौतरी करने के प्रस्ताव से अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति होगी जैसे कि राज्य को धूम्रपान मुक्त करने, धूम्रपान से होने वाली मृत्यु को कम करने तथा राजस्व के रूप में अभिलाभ जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, तथापि तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों से राजस्व एकत्रित करना इसका मूल उद्देश्य नहीं है । इसलिए उपर्युक्त अधिनियम में संशोधन करना अनिवार्य हो गया है ।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

**(प्रेम कुमार धुमल)**
मुख्य मन्त्री ।

शिमला :

तारीख :....., 2011.

## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर विशेष दर पर मूल्य परिवर्धित कर उद्‌गृहीत करने के लिए तात्पर्यित है, जिससे राजकोष को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी जिसको परिमाणित नहीं किया जा सकता है । विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित होने पर, राजकोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत किए बिना, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा प्रशासित किए जाएंगे ।

———

## प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———

## भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(आबकारी एवं कराधान विभाग नस्ति संख्याः ई.एक्स.एन.–एफ(10)–1/2011)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2011 की विषय–वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं ।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

# THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

**1. Short title.—**This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2011.

**2. Amendment of section 6.—**In section 6 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), after clause (c), the following clause (d) shall be inserted, namely:—

"(d) at every point of sale in respect of the goods specified in the second column of Schedule 'E',".

**3. Amendment of section 10.—** In section 10 of the principal Act, for the word, letter and signs "or 'D' ", the signs, word and letters ", 'D' or 'E' " shall be substituted.

**4. Insertion of SCHEDULE 'E'.—**After SCHEDULE 'D' appended to the principal Act, the following SCHEDULE 'E' shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE 'E'

(See clause (d) of sub-section (1) of section 6)

GOODS TAXABLE AT SPECIAL RATES

| Sr. No. | Goods | Rate of Tax |
|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | Tobacco and Tobacco Products, (except beedi) | 16% |
| 2. | Beedies | 9.75%.". |

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Large number of States in the country has increased the rate of Value Added Tax on tobacco and tobacco products with a twin objective of discouraging consumption of tobacco and tobacco products on the one hand and enhancing Government revenue on the other. The high smoking is causing enormous health concerns to the State and consumption of tobacco and tobacco products in any form causes many serious diseases and is detrimental to public health. The study conducted by **National Institute on Public Finance and Policy** on '**Tobacco Taxes'** in India reveals that the effective way to discourage and reduce consumption of tobacco and tobacco products is to increase their prices through increase in taxes. Higher prices are expected to discourage people in general and youths in particular from smoking. The increase in Value Added Tax rate on tobacco and tobacco products will be a step forward towards making the State smoke free. The consumption of beedies is equally dangerous to health which is consumed in large scale by the poorer section of the society. The lower rate of Value Added Tax on beedies is acting as an incentive for higher consumption which is playing havoc with poor people's lives. The existing Schedules under Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 are not sufficient to accommodate entry of goods **"taxable at special rates"**, hence, a new **Schedule 'E'** is being proposed for higher Value Added Tax rate category of goods to be named as **"Goods taxable at special rates".** The proposal to enhance Value Added Tax on tobacco and tobacco products including beedies will attain multi-objectives, such as attain the objective to make State smoke free, reduce smoke related deaths and to gain in terms of revenue, however, increase in revenue collection on tobacco and tobacco products is not the prime objective. This has necessitated amendment in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

**(PREM KUMAR DHUMAL)**
Chief Minister.

SHIMLA:

The ....., 2011.

## FINANCIAL MEMORANDUM

The Bill purport to levy Value Added Tax on tobacco and tobacco products at a special rate and will generate additional revenue to the State Exchequer which can not be quantified. The provisions of the Bill, if enacted, will be administered by the existing Government machinery without incurring any additional expenditure from the State exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

---

## RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(No. EXN-F(10)-1/2011)

The Governor, Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Bill, 2011, recommends, under articles 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.